

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती पद्माश्रीदेवी बनाम रमेश कुमार शर्मा

किस्म मुकदमा ..... प्रा. फा 111-128 ..... नं. 89 तारीख 2022

नांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तानील  
ने जारी हुए

4-22

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 17-5-22 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

17/5/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित,  
अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त  
हुए जिले शा. पत्र किया गया। वहील एड मोडल  
से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली  
किया गया। अप्रार्थीगण की कितनी भर्त बाक्षावाजे  
फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके  
विकेह एक बरफा कार्यवाही किये जाने केशाडिश  
दिये जाते हैं। वकील प्रार्थिया ने बहस करनी चाही  
बहस हुनी गयी। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाकर निर्णय सुधक से लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेसल शुगर  
लेकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीटारसीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 89/22 प्रा.पत्र

1- श्रीमती कैलाशी देवी w/o श्री गणेशनाथसांसी निवासी लक्ष्मणगढ  
कालोनी बागोर तहसील - माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री शकेश कुमार s/o श्री शंकरलाल चावरी (मेहतर) निवासी -  
कैमाली तहसील - करेडा [वर्ग 1] (विपक्षित प्रा.पत्र संलग्न)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 17-05-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7812/292, 7813/292 कुल किता 02 रकबा 0-5058 हठियर विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-4-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7812/292, 7813/292 कुल किता 02 रकबा 0-5058 हठियर विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा